उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-117/2017/1188/92-2-17-06जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 14 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में तैनाती की अवधि में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों व अन्य सांसद/विधायक निधि के कार्यो में गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने, अपने उच्चाधिकारी के अधिकारो का अतिक्रमण करने व शासनादेशों में निहित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0पी0 पाण्डेय तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-117/2017/1188(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को वित्त नियंत्रण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-14/ग्रा0अ0वि0/वि0नि0-कैम्प/शि0/2017-18 दिनांक 25.04.2017(संलग्नक सहित) छायाप्रति **संलग्नकर** इस आशय से प्रेषित कि श्री एस0पी0 पाण्डेय तत्का0 सहा0अभि0,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री एस0पी0 पाण्डेय तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in